निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
वित्त भवन, A ब्लॉक, ज्योति नगर, राजस्थान–जयपुर
0141 2740179
Fax 0141-2740193
web site: lfad.raj.nic.in

क्रमांकः–प.4 (एल)/(I)/स्था.अंके/रिपोर्ट/2010–11/8405-422 दिनांक 21/10/21

कार्यालय आदेश संख्या 289/2021–2022

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के किये जाने वाले अंकेक्षण के दौरान पाई जाने वाली मुख्य/गंभीर अनियमितताओं से संबंधित "अ" व "ब" श्रेणी गंभीरतम प्रालेखों के मापदण्ड हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 230/2012–13 समसंख्यक पत्रांक 7215–33 दिनांक 18.07.2012 से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए "अ" व "ब" श्रेणी गंभीरतम प्रालेखों के गठन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:–

गंभीरतम प्रालेखों के मापदण्ड

क्र.सं.	आक्षेप/अनियमितता	मापदण्ड	
		"ब" श्रेणी	"अ" श्रेणी
1	विभिन्न प्रकार के उपापन प्रकरणों में पाई गई वित्तीय अनियमितता/ राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियमों में अनियमितता के मामलों में स्पष्ट हानि	हानि की राशि रू. 3.00 लाख से रू 10.00 लाख तक	हानि की राशि रू. 10.00 लाख से अधिक
2	अनियमित नियुक्ति संबंधी प्रकरण	–	समस्त प्रकरण
3	निर्माण कार्यों में निष्फल व्यय	निष्फल व्यय राशि रू. 25.00 लाख से अधिक के समस्त प्रकरण	–
4	निर्माण कार्यों में धारा 2 व 3 के प्रकरणों व अन्य प्रकरणों में वसूली	राशि रू. 3.00 लाख से रू.10.00 लाख तक	राशि रू. 10.00 लाख से अधिक
5	मूल्यांकन से अधिक व्यय के मामलों में वसूली	राशि रू. 3.00 लाख से अधिक के समस्त प्रकरण	–
6	अन्य समस्त वसूली/ हानि संबंधी प्रकरण	राशि रू. 5.00 लाख से रू.10.00 लाख तक	राशि रू. 10.00 लाख से अधिक
7	भूमि विक्रय/आवंटन संबंधी मामलों में पायी गई अनियमितताओं के कारण हानिः– (I) बाजार दर से कम दर पर विक्रय/ आवंटन (II) व्यावसायिक भूमि का आवासीय दर पर विक्रय/आवंटन (III) स्ट्रीप आफ लैण्ड को न्यूनतम दर पर बेचना अथवा अनियमित आवंटन करना (IV)नीलामी राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त करने का अभाव/राशि देरी से जमा कराने पर ब्याज वसूली का अभाव	हानि राशि रू. 4.00 लाख से रू. 10.00 लाख तक	हानि राशि रू. 10.00 लाख से अधिक
8	भू–उपयोग परिवर्तन, भू– रूपान्तरण/ नियमन के प्रकरणों में अनियमितताओं से हानि/वसूली	राशि रू. 2.00 लाख से रू. 10.00 लाख तक	राशि रू. 10.00 लाख से अधिक

Scanned with CamSca

9	लीज राशि की बकाया संबंधी प्रकरण अथवा संशोधित लीज डीड निर्धारण का अभाव	बकाया राशि रू. 10.00 लाख से रू. 15.00 लाख तक	राशि रू. 15.00 लाख से अधिक
10	लीजमनी से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने का अभाव	राशि रू. 10.00 से अधिक के समस्त प्रकरण	–
11	गृहकर/नगरीय कर की बकाया संबंधी प्रकरण अथवा पिछले पांच वर्षों से बकाया गृहकर/नगरीय कर निर्धारण संबंधी प्रकरण	बकाया राशि रू. 5.00 लाख से 15.00 लाख तक	राशि रू. 15.00 लाख से अधिक
12	दुकानों/गोदामों के किराया संबंधी मामलों में बकाया/हानि राशि	राशि रू. 7.00 लाख से अधिक के समस्त प्रकरण	एकल प्रकरण राशि रू. 50.00 लाख से अधिक होने पर
13	अग्रिम की भारी बकाया	राशि रू. 10.00 लाख से अधिक के सभी प्रकरणों की प्रोग्रसिव स्थिति	एकल प्रकरण राशि रू. 50.00 लाख से अधिक होने पर
14	स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय	राशि रू. 3.00 लाख से अधिक (प्रत्येक मद अनुसार)	–
15	विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त बजट राशि/अनुदान राशि का समय पर उपयोग न कर अवरूद्ध रखने संबंधी	राशि रू. 5.00 लाख से अधिक	–
16	बन्द पड़ी योजनाओं की राशि वापस लौटाना/राज्यकोष में जमा कराये जाने का अभाव	राशि रू. 3.00 लाख से अधिक (प्रत्येक योजना अनुसार)	–
17	योजना में प्राप्त अंशदान से अधिक व्यय के पुनर्भरण का अभाव	राशि रू. 3.00 लाख से अधिक (प्रत्येक योजना अनुसार)	–
18	धरोहर/प्रतिभूति राशि संबंधी भारी जमा शेष	राशि रू. 10.00 लाख से अधिक	–
19	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों का पदस्थापन संबंधी प्रकरण	समस्त प्रकरण	–
20	अनियमित रूप से राशि विनियोजन करने से ब्याज हानि	ब्याज हानि राशि रू. 3.00 लाख एवं अधिक	–
21	संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों से बैंक व पी.डी. खातों की राशि का अंकमिलान नहीं करने संबंधी प्रकरण	समस्त प्रकरण	–
22	संबंधित संस्था द्वारा लेखा पुस्तिकाओं के संधारण नहीं करने संबंधी प्रकरण यथा–सम्पत्ति, गृहकर रजिस्टर, किराया वसूली रजिस्टर इत्यादि	समस्त प्रकरण	–
23	विभिन्न प्रकार के राजकीय/वित्तीय/ लेखा नियमों में सीमा से बाहर के कार्य अथवा तत्कालीन नियमों की परिधि से बाहर के कार्य की सक्षम कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरण	समस्त प्रकरण	–

Scanned with CamScanner

24	संस्थाओं की ऑन लाईन ऑडिट योग्य कम्प्यूटराईजेशन का अभाव यथा अभिलेख, प्राप्तियां एवं भुगतान कम्प्यूटराईजेशन व्यवस्था		कॉलम 2 में बताये प्रकरण में से एक भी बिन्दु पर कम्प्यूटराईजेशन का अभाव पाये जाने पर "अ" श्रेणी पैरा प्रस्तावित होगा।

टिप्पणीः—उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त भी अन्य ऐसे आक्षेप जो गंभीर अनियमितता/प्रकृति के हैं, गंभीरतम प्रालेख के रूप में प्रस्तावित किये जा सकेंगे। निदेशालय स्तर से भी उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त भी 'अ' श्रेणी योग्य समझे जाने वाले प्रकरणों के प्रस्ताव भिजवाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया जा सकेगा ।

भविष्य में उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर निर्धारित प्रक्रियानुसार ही "अ" श्रेणी गंभीरतम प्रालेखों के प्रस्ताव मुख्यालय जो एवं "ब" श्रेणी के गंभीरतम प्रालेखों का गठन सम्भागीय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में राशि रू 3.00 लाख से अधिक की गंभीर अनियमितताओं को गंभीरतम प्रालेख के रूप में गठित किया जाकर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पृथक् से पालना करवायें तथा प्रतिमाह प्रेषित किये जाने वाले मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इसका आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

इन मापदण्डो से कम राशि एवं अन्य आक्षेपों की सामान्य आक्षेपों के रूप में पालना करायी जावे।

यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में जोडी गयी नयी धारा 18 के अनुसार विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों की वार्षिक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजी जावेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा। अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रस्तावित आक्षेप में नियमों का सही संदर्भ तथा आक्षेपित राशि की सही गणना कर पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। प्रस्तावों के साथ ही आक्षेप में वर्णित परिपत्र/आदेश या संबंधित कुंजी दस्तावेजों की चैक लिस्ट जो विभागीय परिपत्र 64/2019–20 दिनांक 30.07.2020 द्वारा प्रसारित की गई थी के अनुरूप आवश्यक रूप से संलग्न किए जावें।

यदि 2 या दो से अधिक अ श्रेणी प्रारूप प्रालेख प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं तो निम्न प्रारूप में अग्रेषण पत्र में सूची भी होना अपेक्षित है ।

Scanned with CamSca

क्रमांक	संस्था का नाम	वर्ष	आक्षेप संख्या	आक्षेप का संक्षिप्त विवरण	राशि	विशेष विवरण

सभी "अ" श्रेणी प्रारूप प्रालेख प्रस्ताव विभागीय परिपत्र 03/2019–20 दिनांक 20.08.2020 में निर्धारित प्रपत्र के साथ ही प्रेषित किये जावें ।

(रेखा भास्कर)
निदेशक

प्रतिलिपिः– क्रमांकः–प.4 (एल)/(I)/स्था.अंके/रिपोर्ट/2010–11/8405-422 दिनांक 21-10-21

(1) संयुक्त शासन सचिव,वित्त(अंकेक्षण)विभाग,राजस्थान,जयपुर
(2) अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय समस्त।
(3) संयुक्त निदेशक, (सतर्कता/प्रशासन) निदेशालय जयपुर।
(4) प्रभारी, रिपोर्ट/गबन/लेखा/विधानसभा,सतर्कता/अंकेक्षण/ संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय जयपुर।

(हिम्मतसिंह पूनिया)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamSca